मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
Comp. No. 1435339

क्रमांक/**I/1206504/2026/26-2** भोपाल, दिनांक **31-07-2026**

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
समस्त जिलें, मध्यप्रदेश।

विषयः- **मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के क्रियान्वयन** के संबंध में निर्देश।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्र. **209-210/सी.एस./2026**, दिनांक **28** जुलाई, **2026** (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य शासन द्वारा **मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 दिनांक 07 अगस्त, 2026 से 08 जनवरी, 2027 तक संचालित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।** अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं लोक सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना, सेवाओं के समयबद्ध प्रदाय की सतत समीक्षा करना तथा शासन एवं नागरिकों के मध्य विश्वास, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना है।

3/ अभियान प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा तथा इसके क्रियान्वयन का आधार "संवाद, समाधान, संवेदनशीलता एवं सादगी" के चार स्तंभ होंगे।

4/ उक्त दिशा निर्देश के अनुक्रम में, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संभागीय/जिला स्तर पर पदस्थ समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालकों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि वे जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करें:-

1. अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण, जन-संवाद एवं जनसुनवाई कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित करें तथा विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित समस्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराएं।

2. क्षेत्र भ्रमण के दौरान आमजन से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने तथा लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था की सतत समीक्षा करें।

3. विभाग से संबंधित सी.एम. हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि–
    - विभाग स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
    - जिला स्तर पर प्राप्त समस्त शिकायतों एवं आवेदनों का समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए।
    - निराकरण गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक हो।
4. अभियान अवधि के प्रत्येक शुक्रवार को अपने प्रशासनिक क्षेत्र में फील्ड भ्रमण एवं निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। भ्रमण हेतु क्षेत्र एवं संस्थाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं, विभागीय प्राथमिकताओं एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार किया जाए।
5. निम्न विभागीय योजनाओं/कार्यों की विशेष समीक्षा एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए –
    - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लंबित प्रकरणों का निराकरण।
    - मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, दिव्यांगजनों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन।
    - पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध लाभान्वयन।
6. 'नशामुक्त भारत अभियान' अंतर्गत प्रदेश के छात्रावास/शासकीय शालाओं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य, अधीक्षको, मास्टर ट्रेनर्स एवं मास्टर वोलिंटियर्स की सहभागिता से नशामुक्ति अभियान प्रचार-प्रसार की सतत कार्यवाही की जावें।
7. विभाग के अधीन संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं तथा विशेष विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग तथा आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किए जाएं।
8. प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के उपरांत विभाग से संबंधित निम्न बिंदुओं का समेकित प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाए–

- सी.एम. हेल्पलाइन की स्थिति।
- जनसुनवाई प्रकरणों की स्थिति।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन।

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना।
- संस्थागत निरीक्षण।

9. उपरोक्त समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक शुक्रवार को अभियान की गतिविधी उपरांत प्रति मंगलवार अनिवार्य रूप से आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक के माध्यम से गूगल शीट **(https://socialjustice.mp.gov.in/)** पर जानकारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

10. सुनिश्चित किया जाए कि जिला कलेक्टर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विभाग की भूमिका सक्रिय, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख रहे तथा अभियान के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हेतु सभी अधिकारी पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें।

संवाद, समाधान, संवेदनशीलता एवं सादगी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के ये **04** स्तम्भ हैं। पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन इस अभियान का प्रतिबिंब है। अत: अभियान के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(जगन्नाथ जाटव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

क्रमांक/**I/1206504/2026/26-2** भोपाल, दिनांक **31-07-2026**

प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर मुख्य सचिव महोदय के उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आपके अधिनस्थ संचालनालय के अधिकारियो का भ्रमण सुनिश्चित करें। समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को समेकित कर जिलेवार प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रति मंगलवार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आपकी टीम को विभाग की संस्थाओं

के निरीक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र विभाग की वेबसाईट **(https://socialjustice.mp.gov.in/)** पर उपलब्ध हैं।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक : 209/CS/2026 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

शासन के समस्त विभाग,

विषय- **मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।**

क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग और लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने के उददेश्य से राज्य शासन द्वारा **मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस विषय में सभी जिला कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों की प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गई है, जिसका अध्ययन अवश्य कर लें। अभियान के सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विभागों के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं -

1. यह अभियान दिनांक 07 अगस्त-2026 से प्रारंभ होकर 08 जनवरी-2027 तक चलेगा।
2. इस अवधि में जन-विश्वास अभियान प्रत्येक सप्ताह के पंचम दिवस अर्थात शुक्रवार को संचालित होगा।
3. सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान दिवस अर्थात प्रत्येक शुक्रवार को (अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर) विभाग स्तर पर अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर अथवा संभागायुक्त या जिला

कलेक्टर्स अथवा विभागीय जिला अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाईन/ऑफलाईन समीक्षा बैठकों का आयोजन नहीं किया जावे।

4. सभी विभाग प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों के लिए यह अनिवार्य होगा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की अवधि में प्रत्येक शुक्रवार को अधिकारीगण फील्ड भ्रमण करेंगे। इसके लिए जिले एवं क्षेत्र का चयन वे अपनी प्रशासनिक कार्य सुविधा, विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकतानुसार कर सकेंगे।

5. यदि किसी सप्ताह अपरिहार्य कारणों से विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव फील्ड भ्रमण में असमर्थ हो तो इसकी पूर्व सूचना मुख्य सचिव कार्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। विभागाध्यक्षों के मामले में इसी प्रकार की व्यवस्था सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे।

6. सभी विभागों का यह दायित्व होगा कि प्रति सप्ताह अपने-अपने विभाग से संबंधित सी.एम हैल्पलाईन, जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करेंगेएवं सुनिश्चित करेंगे कि प्रथमत: विभाग/विभागाध्यक्ष स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और द्वितीयत: जिला स्तर पर भी शिकायतों/आवेदनों का समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण हो।

7. विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाए कि संभाग स्तर पर पदस्थ विभागीय अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक स्तरीय अधिकारीगण भी अनिवार्य रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अपने क्षेत्राधिकार के जिलो में विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु चिन्हित क्षेत्र में भ्रमण पर रहेंगे।

8. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत भ्रमण कार्यक्रम आदि के दौरान सादगी और मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जावे ।

अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि भ्रमण पर प्रस्थान करते समय वाहन संख्या सीमित रहे और यथासंभव वाहन पूलिंग सुनिश्चित किया जावे ।

9. प्रशासकीय विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ कार्यालयों एवं संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तदनुसार आवश्यक निर्देश विभागीय स्तर से जारी किये जाएें ।

संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के ये 04 स्तम्भ हैं। पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन इस अभियान का प्रतिबिम्ब है। अतः अभियान के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(अशोक बर्णवाल)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

पृ. क्रमांक : 209A/CS/2026 **भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2026**

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/निज सचिव/विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण/माननीय मंत्रीगण (समस्त)
4. विभागाध्यक्ष (समस्त), मध्यप्रदेश ।
5. संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश ।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त् जिला कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय